आवेदन सह तकनिकी विड का प्रपत्र

राज्य अल्पसंख्यक आयोग कार्यालय के लिए वाह्य स्रोत से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिक्ताओं के लिए आवेदन पत्र।

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि .... अपराह्न.. बजे तक

आवेदनकर्त्ता द्वारा भरा जायेगा

- (अ) आवेदक का नाम ....(कृपया आवेदक का आईडी यथा चालक लाईसेन्स, पासपोर्ट, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र बिजली बिल, आधार कार्ड में से कोई दो संलग्न किया जाय)

  (ब) पता...

  ....

  (स) दूरभाष नम्बर...

  (द) फैक्स नम्बर ....
- पंजीयन संख्या/ वर्ष..
- सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेषन नम्बर (यदि कोई हो)...
- आयकर पैन नम्बर ....
- गतवर्ष में किये गये कार्यो का विवरण (यदि कोई हो) (कृपया प्रतियाँ सलंग्न की जाए) (वैकल्पिक)

  (अ) कलाइन्ट्स का नाम एवं पता (सलग्न करें)
- आवेदक की विधिक स्थिति (व्यक्गित/पार्टनरषिप) ....
- आवेदक के स्वामित्वाधीन मोटर स्कार्पियो(AC सहित) वाहनों की संख्या.......................

घोषण पत्र

मैं सषपथ घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि मेरे द्वारा झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पत्रांक......................... दिनांक.............................. के अन्तर्गत आवेदन कर्ताओं हेतु आवष्यक निर्देष एवं "समान्य नियम एवं शर्तो" में विहित समस्त शर्तो का अवलोकन किया गया है और उसे भली प्रकार समझा हैं। मैं आयोग द्वारा निर्धारित शर्तो पर अपना वाहन देने के लिए सहमत् हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदनकर्त्ता का नाम एवं पता............

निविदा की अनिवार्य शर्ते

1. निविदा दो लिफाफे में देना होगा।
2. एक लिफाफे में तकनिकि निविदा एवं दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड देना अनिवार्य होगा।
3. निविदा लिफाफों पर "स्कार्पियो वाहन (ACसहित) किराये पर देने से संबंधित निविदा" एवं तकनिकि बिड एवं वित्तीय बिड लिखना होगा।
4. तकनिकि बिड के साथ झारखण्ड सरकार का बैट रजिस्ट्रेषन/सर्विस टैक्स एवं आयकर पैन संख्या का स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिर्वाय होगा।
5. तकनिकि बिड के साथ शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि उनका फार्म काली सूची में दर्ज नही है, एवं पुलिस/बिजलेंस जाँच विचाराधीन नहीं है और न ही सक्षम माननीय न्ययालय द्वारा किसी अपराध के लिए कभी दण्डित किया गया है।
6. कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करने की अपेक्षा की जाती है।
7. वित्तीय बिड में किराया दर शब्द एवं अंक दोनो में अंकित करना अनिवार्य है।
8. वाहन तीन वर्ष से पुरानी मान्य नहीं होगी।

वित्तीय विड का प्रपत्र

झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं तीन उपाध्यक्षों के पदीय दायित्वों के निर्वाहन हेतु चार(04) स्कार्पियो वाहन (ACसहित) योजना सह वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ईधन आपूर्ति के अन्तर्गत निविद के माध्यम से वाह्य स्त्रोत से रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। आयोग द्वारा गठित निविदा समिति ने निर्णय लिया है कि वाहन वाह्य स्त्रोत से लिया जाय एवं ईधन की आपूर्ति आयोग द्वारा की जाएगी। अतः इच्छुक निबंधित आपूर्तिकत्ताओं से स्कार्पियो वाहन (ACसहित) के मासिक किराया से संबंधित दर ही अंकित करने की अपेक्षा की जाती है। निर्धारित दर में चालक, रात्रि ठहराव, निबंधन, रोड टैक्स एवं रख–रखाव आदि सहित होगें। वाहन का परिचालन अधिकतम ईधंन अधिसीमा 250 लीटर प्रति माह के अधीन होगा।

प्रारूप

क्र0 सं0	वाहन का नाम	मासिक किराया(बिना ईंधन के)
01.	स्कार्पियो (AC सहित)	

हस्ताक्षर

आवेदनकर्त्ता के हस्ताक्षर एवं पता.......

निविदा की अन्य शर्ते

1. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा व्यवायिक रूप से झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत निबंधित वाहन उपलब्ध कराना होगा।
2. वाहन के मासिक विपत्र में नियमानुसार सेवा कर सहित अन्य सभी करों के रूप में देय राषि का अलग–अलग उल्लेख करना होगा।
3. वाहन में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर आपूर्तिकर्त्ता को अविलम्बं उसी प्रकार के वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था दो घण्टों के अन्दर करनी होगी।
4. अनुबंध के समय आपूर्तिकर्त्ता को लिखित घोषणा पत्र सर्मिपत करना होगा कि चालक का भुगतान उनके द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
5. आपूर्तिकर्त्ता को एकरारनामा सम्पादित होने के साथ वाहनों की आपूर्ति करनी होगी यदि वाहनों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होगें तो अनुबंध/एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा।
6. यदि कोई वाहन चालक अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हैं तो आपूर्तिकर्त्ता को उनके स्थान पर अविलंब अन्य किसी चालक कि व्यवस्था करानी होगी। विलंब की स्थिति में प्रति घण्टा 100/–(एक सौ) रूपये की दर से भुगतान में कटौती की जाएगी। पूरे दिन वाहन चालक की अनुपस्थिति में 1000/–(एक हजार) रूपये प्रति दिन के आधार पर भुगतान में कटौती की जाएगी।
7. आपूर्तिकर्त्ता को वाहन चालक को आवष्यक नगद् राषि सुलभ कराना होगा ताकि वाहन में किसी प्रकार की आकस्मिक खराबी होने पर चालक द्वारा उसकी अविलंब मरम्मति कराया जा सके।
8. वाहन का उपयोग सामान्य कार्यालय कार्य के लिए किया जायेगा परंतु आवष्यक्तानुसार वाहन का उपयोग कार्यालय अवधि के उपरांत कार्य समाप्ति तक किसी भी समय (अवकाष के दिनों में भी) किया जा सकता है। वाहन की आपूर्ति 24 घंटे की उपलब्धता के आधार पर होगी।
9. वाहन अथवा वाहन चालक को बदलने से पूर्व उपयोग करने वाले पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के चालक एवं वाहन को नहीं बदला जायेगा।
10. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा भाड़े पर दिये गये वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी के आदेशानुसार संचालित होगें एवं पदाधिकारी के अधीन ही रहेगी।
11. वाहन छः माह अथवा वाहन क्रय होने तक, जो पहले हो, तक के लिए ली जाएगी। उपयोग करने वाले पदाधिकारी 15 दिनों की पूर्व सूचना पर एकरारनामा को समाप्त कर सकते हैं।
12. किसी वाहन के सतोष जनक परिचालन नहीं रहने पर आयोग को विपत्र से आवष्यक कटौती करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
13. वाहन उपयोग के दौरान वाहन चालक अथवा वाहन के किसी प्रकार के दुर्धटना अथवा अन्य किसी कारणवश होने वाले क्षति का दायित्व आपूर्तिकर्त्ता की होगी।
14. भाड़े पर दिये जाने वाले वाहन तीन वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए साथ ही पूर्व में दुर्धटनाग्रस्त एवं दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। वाहन यांत्रिक रूप से सही तथा सुरक्षित दशा में होना चाहिए।
15. वाहन में किसी प्रकार की मरम्मति एवं रख–रखाव आपूर्तिकर्त्ता को स्वंय करनी होगी।
16. वाहन में साफ तौलिया, रेडियों कार परफयूम, मोबाईल चार्जर तथा मानसून के समय वाहन में छाता की सुविधा आपूर्तिकर्त्ता को अपने व्यय पर उपलब्ध कराना होगा।
17. चालक का अद्यतन ड्राईविंग लाइसेंस, चारित्री एवं स्वस्थ होने संबंधी धोषणा आपूर्तिकर्त्ता को देना होगा।

18. वाहन से संबंधित सभी आवष्यक कागजात वाहन चालक के जिम्में होनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों के उल्लंधन एवं कागजातों की जाँच होने पर दण्ड के द्वारा अधिरोपित शुल्कों की भुगतान की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी।

19. चालक का आचरण अपराध रहित होना चाहिए तथा उसे स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

20. चालक की सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर उपयोग करने वाले पदाधिकारी को चालक बदलने का अधिकार होगा।

21. ज्ञापांक–3296/वि0 दिनांक–15.09.2014 के द्वारा निर्गत वित्त विभाग के संकल्प एवं तत्संबंधी समय–समय पर निर्गत निर्देषों का अनुपालनक करना होगा।

भुगतान

1. आपूर्तिकर्त्ता को वाहन वार मासिक राषि भुगतान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बिते माह का विपत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. किसी वाहन के संतोषप्रद परिचालन नहीं होने पर उपयोग करने वाले पदाधिकारी को भुगतान में कटौती करने का अधिकार होगा।
3. वाहन वार मासिक विपत्र से अनुमान्य आयकर तथा सरकार को देय अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जाएगी।

नोटः– नियम एवं शर्तों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा राँची स्थित न्ययालय के अन्तर्गत होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं मोहर